(B) हाशिए पर खड़े दलित वर्ग की शिक्षा

भारतीय संविधान की धारा 46 के अनुसार भी राज्य जनता के निर्बल वर्गों को विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण

Scanned with CamScanner

करेगा। इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यों में दलितों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के उन्नयन के लिए व्यवस्थाएँ सामान्य रुप से की गयी है। राज्यों ने जनपद स्तर से गाँवो तथा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके दलित वर्गों के शैक्षणिक विकास की सुविधाएं उपलब्ध करायी जिसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ आई॰ टी॰ आई संस्थान भी ~~सम्मिलित~~ हैं। संचालित है।

"शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव के चलते छात्र न केवल हीन भावना के शिकार हो रहे हैं बल्कि कई बार तो अपमान और उपेक्षा के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते है।"

शिक्षा के अधिकार का हनन भी देश की बालिकाओं और दलित छात्रों के साथ ही हो रहा है। इनके साथ ही दलित समाज में शिक्षा के उन्नयन से आर्थिक संसाधनों व शिक्षा के सहसम्बन्ध का आंकलन किये जाने पर पता चलता है कि दलित परिवारों की आर्थिक स्थिति भी बहुत चिन्तनीय है तथा वे बड़ी मुश्किल से अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। परिवार के मुखिया अकुशल श्रमिक है तथा उनका व्यवसाय भी अंशकालिक है जिसके कारण उनकी कम आय होती है तथा वे इसी कारण अपने बच्चों की पढ़ाई पर अधिक खर्च नही कर पाते व अपने व्यावसायिक कार्यों में उन्हे भी अंशतः सम्बद्ध कर लेते हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। हालांकि सरकार द्वारा इन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है परन्तु इस पर भी कई अभिभावक तो छात्रवृत्ति न मिलने की बात कहते हैं और दूसरे जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती भी है वे इसका उपयोग अपने व्यक्तिगत खर्च पर कर डालते हैं।

Scanned with CamScanner